न्यायालयः—सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी रायपुर (पाली)
पीठासीन अधिकारी :—श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 140/2019
प्रकरण दर्ज तिथि :— 27.11.2019
जीसीएमएस नम्बर :— 2019/00221

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1. भगवानलाल पुत्र दलाराम जाति जाट निवासी झुझण्ड़ा तहसील जैतारण		1. डुंगरसिंह पुत्र ओगड़सिंह जाति पुरोहीत निवासी झुंठा 2. मुकेशसिंह पुत्र ओगड़सिंह जाति पुरोहीत निवासी झुंठा 3. तहसीलदार रायपुर

दावा बाबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 ''ए'' ,188 आरटीए

उपस्थित 1 श्री जसवन्तसिंह सांखला अधिवक्ता वादी
2 एक पक्षीय कार्यवाही

निर्णय

दिनांक:23.06.2022

वादी की ओर से वकील श्री जसवन्तसिंह सांखला द्वारा दावा बाबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 ''ए'',188 राज. काश्त. अधि. के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा झुंठा पटवार हल्का झुठा के खसरा नंबर 229 रकबा 03 बिघा 10 बिस्वा किश्म बारानी दोयम उपरोक्त वर्णित आराजीयात को आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजीयात के नाम से संबोधित किया जायेगा तथा वाद पत्र के साथ जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 की प्रमाणित प्रति, नक्शा ट्रेष की प्रति, रजिस्ट्री की फोटोप्रति तथा नजरी नक्षें की प्रति पेश की जा रही है। जिसे वाद पत्र का आवष्यक भाग के रूप में पढ़ा जावें। उपरोक्त वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में से वादी का 3/5 वा हिस्सा बनता हैं उस हिस्से का वादी खातेदार काष्तकार रेकर्ड दर्ज हैं जो वादी ने श्री मोतीलाल पुत्र श्री नैनसिंह का हिस्सा खरीद कर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये हैं वादी ने जिससे खरीद की उसको दानकर्ता एंव प्रतिवादीगण के मध्य उनके पिताजी के फौते होने के समय से राजस्व रेकर्ड में दर्ज अनुसार मौके पर बंटी हुई हैं उस पर उसी अनुसार काबिज होकर काष्त कर रहे थे एंव उस रजिस्ट्री में कब्जा अनुसार आपस पड़ौस बताये हुये हैं उन रजिस्ट्री अनुसार वादी खरीद दिनांक से आज दिनांक तक कब्जा काष्त कर रहे हैं जो नजरी नक्षें में लाल रंग से दर्शायी हुई। उक्त लाल रंग की दर्शायी भूमि पर पूर्व में बैचानकर्ता का कब्जा काश्त था। उसने रजिस्टर्ड दस्तावेज में आड़ पड़ौस सहित खोलकर बैचान की थी वादी एंव प्रतिवादीगण जो राजस्व रेकर्ड अनुसार कब्जा हैं व काश्त करते आ रहे थी जिसे नजरी नक्शें में वादीगण का लाल रंग से शेष प्रतिवादीगण का बिना रंग द्वारा कब्जा काष्त अनुसार हिस्सा दर्षायी हुआ हैं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उपरोक्त विवादित आराजी के रिकोर्डेड सह खातेदार हैं वादी को बैचानकर्ता एंव बैचानकर्ता को दानकर्ता एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 2 के मध्य वादपत्र के पैरा नंबर 1 में वर्णित आराजी कृषि भूमि कई वर्षो से मौके पर

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

आपस में बंटी हुई हैं एंव वादी एंव प्रतिवादीगण मौके रेकर्ड अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं वादी एंव प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि एक खाते में शामलाती दर्ज है। व नक्शा में भी विवादित खसरा की भूमि की एक जोत दर्षायी गयी हैं मौके के कब्जे व काष्त के आधार पर अलग अलग तरमीन नही की हुई हैं वादी एंव प्रतिवादीगण में अलग अलग तरमीम नही होने के कारण उसका फायदा उठाकर प्रतिवादीगण ने उस पर कब्जा करने की नियत रखते हैं कब्जे को लेकर आए–दिन झगड़ा फसद होते रहते हैं इसलिये वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के मध्य आपसी विवाद उत्पन्न होते रहते है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से विवाद होने पर बार बार अपने कब्जे अनुसार बंटवाड़ा करने की निवेदन किया एंव वादी की भूमि में दखलन्दाजी नही करने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने बार बार मना कर दिया वादी ने पुनः निवेदन कर प्रार्थना की कि उक्त संयुक्त वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि का बंटवाड़ा मौके अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स के तकांस्मा करवाकर खाते अलग से दर्ज करवाने अपने हिस्से के खाते व हिस्से एंव नजी नक्षें अनुसार नक्षा ट्रेश में तरमीम रखने का तकास्मा करवाने का कहॉ मगर प्रतिवादीगण की नियम सही नही होने से उन्होने बंन्टवाड़ा करवाने से दिनांक 14.11.2019 को मना कर दिया जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नही हैं वादी अपने कब्जे अनुसार नजरी नक्शें अनुसार विवादित भूमि का तकास्मा करवाने का अधिकारी हैं इसलिये दावा तकास्मा आराजी एंव स्थाई निषेधाज्ञा का खिलाफ प्रतिवादीगण पेश है। वादी के पक्ष में एंव प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को पाबन्द किया जावें कि प्रतिवादीगण स्वयं उनके परिवारज़न, रिष्तेदारान, यार, दोस्त,नौकर, एजेन्ट, मुख्त्यार, मजदुर, मिस्त्री, हाली, असाईनीज अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति चाहे वे कोई भी हो वे वाद के पद संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात में वादी के हक हिस्से, कब्जे, अधिकार, काष्त, आदि में किसी तरह की कोई दखलन्दाजी नही करें, ना ही कोई बाधा अथवा अड़चन उत्पन्न करें, और ना ही वादी को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करें, ना ही ऐसा कोई कृत्य व/या कृत्य नही करें कि जिससे वादी द्वारा अपने हिस्से की भूमि में किये जा रहे हैं उपयोग उपभोग, हक, अधिकार, कब्जे, काष्त, आदि में कोई बाधा व /या अड़चन व /या अवरोध उत्पन्न होते हो।

अतः वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 व 2 बावजुद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एंक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी मौके पर कब्जा काष्त एंव रेकर्ड के अनुसार बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड् बाऊण्ड्स करने की प्रार्थना करते है। वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों पर बहस सुनी। वकील वादी माफिक रेकर्ड एंव मौका स्थितिं अनुसार बन्टवाडा हेतु सहमत हैं। अतः माफिक रेकर्ड एंव मौके एंव कब्जा काश्त अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करनें के आदेश दिये गये हैं।

अतः माफिक रेकर्ड एंव मौके एंव कब्जा काश्त अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करनें हेतु तहसीलदार रायपुर को अधिकृत किया गया, तहसीलदार रायपुर ने विवादित भुमि का अपने पत्र कमांक राजस्व/2022/2680 दिनांक 17.12.2020 के द्वारा प्राथमिक डिकी के आदेश की पालना में बंटवाडा प्रस्ताव प्रेषित किया गया। जो निम्न हैं।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

क्र. स.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा बीघा / बिस्वा	किस्म	लगान
1	भगवानलाल पुत्र दलाराम कौ जाट झूझण्डा तहसील जैतारण खातेदार	229	2–02	बा.दो.	0.66
2	श्री डूंगरसिंह पुत्र ओगड़सिंह कौम पुरोहित सा. देह खातेदार	229 / 1	0–14	बा.दो.	0.22
3	श्री मुकेश सिंह पुत्र ओगड़सिंह कौम पुरोहित सा. देह खातेदार	229 / 2	0–14	बा.दो.	0.22

बंटवाड़ा प्रस्ताव का वकील वादी द्वारा अवलोकन किया गया। बहस वकील वादी द्वारा सुनी गई। पत्रावली के संलग्न प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। वकील वादी बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार बंटवाड़ा करने में सहमति व्यक्त की। अतः वकील वादी की सहमति के अनुसार तहसीलदार रायपुर द्वारा मौके पर कब्जा काश्त अनुसार प्रस्तावित बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

अतः वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा झूठा पटवार हल्का झूठा, भू. अभि. निरिक्षक क्षेत्र पिपलियाकलां के वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते है, जो निम्न है :–

क्र. स.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा बीघा / बिस्वा	किस्म	लगान
1	भगवानलाल पुत्र दलाराम कौ जाट झूझण्डा तहसील जैतारण खातेदार	229	2–02	बा.दो.	0.66
2	श्री डूंगरसिंह पुत्र ओगड़सिंह कौम पुरोहित सा. देह खातेदार	229 / 1	0–14	बा.दो.	0.22
3	श्री मुकेश सिंह पुत्र ओगड़सिंह कौम पुरोहित सा. देह खातेदार	229 / 2	0–14	बा.दो.	0.22

बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभावन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा।

वादी की कब्जे काश्त की भूमि में कांश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा। तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जावें। डिकी पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 23.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
बईजलास :– श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.
दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एंव बंटवाड़ा अन्तर्गत
धारा 53 ''ए'' एवं 188 राज. टि.एक्ट
राजस्व वाद 140/2019

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

1. भगवानलाल पुत्र दलाराम जाति जाट निवासी झझण्ड़ा तहसील जैतारण

1. डुंगरसिंह पुत्र ओगड़सिंह जाति पुरोहीत निवासी झुंठा
2. मुकेशसिंह पुत्र ओगड़सिंह जाति पुरोहीत निवासी झुंठा
3. तहसीलदार रायपुर

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री जसवंत सिंह सांखला वादी मिनजानिब मुदईव हाजरी प्रतिवादीगण अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार रायपुर के निम्नानुसार करने के आदेश दिये जाते है।

क्र. स.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा बीघा/बिस्वा	किस्म	लगान
1	भगवानलाल पुत्र दलाराम कौ जाट झूझण्डा तहसील जैतारण खातेदार	229	2–02	बा.दो.	0.66
2	श्री डूंगरसिंह पुत्र ओगड़सिंह कौम पुरोहित सा. देह खातेदार	229/1	0–14	बा.दो.	0.22
3	श्री मुकेश सिंह पुत्र ओगड़सिंह कौम पुरोहित सा. देह खातेदार	229/2	0–14	बा.दो.	0.22

बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबधि मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा।

नीज.................... ....मुबलिक............... ....बाबत्............ .... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23.06.2022 को जारी किया गया।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	06	00	स्टाम्प वकालतनामा	–	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	01	00	स्टाम्प हाजरी	–		
स्टाम्प वजह सबूत	–	00	00	मेहनताना वकील पर	–		
मेहनताना वकील	–			खर्चा गवाहान	–		
खर्चा गवाहान	–			फीस कमिश्नर	–		
फीस कमिश्नर	–			बाबत इजराय हुक्मनामा	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–			मुतफरिक	–	00	00
मुतफरिक	–	5	00	मीजान			
मीजान		12	00			00	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।